झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–362 / 2019

सुनील कुमार साह, पे0 सूर्य नारायण साह, निवासी–मिहीजाम, हटिया, मिहीजाम, जामताड़ा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बीर सिंह
2. सावित्री देवी ..... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनोज टंडन, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : XX

आई0ए0 सं0 1089 / 2020

04 / 15.09.2020 कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया है। कार्यवाही के संबंध में संबंधित वकीलों को कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज सुबह 11:15 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

यह इंटरलोक्यूटरी आवेदन परिसीमा अधिनियम, 1961 की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि तत्काल सी0एम0पी0 दाखिल करने में लगभग 12 दिनों की देरी है। वह आगे कहता है कि पैरा सं0 3 के बाद पर्याप्त कारण दिखाया गया है।

पार्टियों के सबमिशन और इस अंतवर्ती आवेदन के पैरा सं0 3 के बाद किए गए निवेदन के मद्देनजर, न्यायालय इस सी0एम0पी0 को दाखिल करने में हुई 12 दिनों की देरी को माफ करने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट है और इस तरह, इसका शमन किया जाता है।

तदनुसार, आई0ए0 संख्या 1089/2020 की अनुमति है।

सी0एम0पी0 संख्या 362/2019

जैसा कि प्रार्थना की गई है, कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को अभी के लिए अनदेखी की जाती है।

यह सिविल विविध याचिका एम0ए0 सं0 51/2016 की अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित 28.03.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण 04.04.2019 को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

श्री मनोज टंडन, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास योग्यता के आधार पर एक अच्छा मामला है और गलती से इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश का आज से तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के सबमिशन और इस सी0एम0पी0 के पैरा सं0 3 के बाद किए गए निवेदन के मद्देनजर, एम0ए0 संख्या 51/2016 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है, इस शर्त के साथ कि एम0ए0 संख्या 51/2016 में दिनांक 28.03.2019 के पारित आदेश को आज से चार सप्ताह के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

त्दनुसार, इस सी0एम0पी0 को उपरोक्त शर्त के साथ अनुमति है।

[(डॉ0) **एस0एन0 पाठक**, न्याया0]